तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.10.2024	पत्रावली वास्ते आदेश आज पेश हुई। अपीलांट उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में अपीलांट वकील का कथन है कि पटवारी हल्का बलरिया द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1254 निर्णय दिनांक 25.02.2024 को दर्ज करते समय हिस्से की बिना सही जांच किये सभी वारिसानों का बराबर–बराबर हिस्सा दर्ज कर दिया, जबकि मृतक मोरपाल के वारिसान रामनारायण, रामलाल, रामप्रसाद, रामप्रसादी एवं गुलाब के प्रत्येक के हिस्से में 1/7 भाग व वारिसान प्रेमदेवी, लखपत, रमेशचन्द, सुनिता का प्रत्येक का हिस्सा 1/14 भाग हिस्सा कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिये था। अपील के जवाब में रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 10 द्वारा जरिये अधिवक्ता लिखित सहमति प्रस्तुत कर विवादित नामान्तरकरण संख्या 1254 निर्णय दिनांक 25.02.2024 ग्राम पंचायत बलरिया, तहसील चौथ का बरवाड़ा को निरस्त कर एवं वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु निवेदन किया है। हमने अपीलांट के विद्वान वकील की बहस पर मनन किया तथा अपीलांट वकील द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात् का अवलोकन किया। उभयपक्षों की सहमति के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 1254 निर्णय दिनांक 25.02.2024 ग्राम पंचायत बलरिया को निरस्त किया जाकर तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक मोरपाल पुत्र रामरतन मीना के विधिक वारिसानों की पुनः जांच कर एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित [illegible] पत्रावली फैसल [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.10.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Damodar Singh Date: 2024.10.08 12:12:01 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा